भारत श्रीलंका मछुआरा मुद्दा: एक सहमतिपूर्ण तरीका विकसित करने की आवश्यकता

डॉ. एम. समता *

श्रीलंकाई रक्षा तथा शहरी विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर 1 अगस्त, 2014 को एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें मछुआरों के मुद्दे पर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता के रूख को निरस्त करने की मांग की गई। इसने एक बार फिर से पाल्क की खाड़ी में भारतीय और श्रीलंकाई मछुआरों के मछलियां पकड़ने के अधिकार के मुद्दे और उनके दीर्घकालिक समाधान तलाशने की आवश्यकता को सुर्खियों में ला दिया।

भारत और श्रीलंका के बीच क्षेत्रीय समुद्र की निकटता को देखते हुए दोनों सरकारों ने मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमारेखा स्थापित करने के लिए दो करारों पर हस्ताक्षर किये हैं। वर्ष 1974-1976 के करारों द्वारा दोनों देशों के बीच सीमारेखा को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया है। साथ ही, वर्ष 1974 की सीमांकन में उल्लेख है कि "श्रीलंका और भारत की नौकाएं एक दूसरे के समुद्र में उन अधिकारों का लाभ उठाती रहेंगी जैसाकि ये परंपरागत रूप से करती आई हैं" और इस करार में तीर्थ यात्रियों और मछुआरों को कच्चातीबू द्वीप में जाने की अनुमति दी गई। तत्पश्चात, यह द्वीप भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को सौप दिया गया था। समुद्री क्षेत्र से समुद्री संसाधनों को हटा लेने और लिबरेशन टाइगर ऑफ़ तमिल इलम (एलटीटीई) के बाद के परिदृश्य में श्रीलंकाई सरकार द्वारा प्रतिबन्धों को आसान बनाने के कारण तमिलनाडु के मछुआरों के लिए पाल्क की खाड़ी में मछलियां पकड़ने के अधिकार की मांग करने का मार्ग प्रशस्त हुआ और कच्चातीबू द्वीप की पुनः प्राप्ति इस मांग का हिस्सा बन गई।

मछुआरों का मुद्दा तब प्रमुखता से सामने आया जब सुरक्षा कारणों के चलते 1990 के दशक से श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों पर गोली चलाने और उन्हें गिरफ्तार करने की घटनाएं बढ़ गईं। उदाहरण के लिए, वर्ष 1991 से प्रारम्भ करके दो दशकों की अवधि में भारतीय मछुआरों पर गोलियां चलाने की 167 घटनाएं हुई थी; श्रीलंकाई नौसेना द्वारा 85 मछुआरे मारे गए और 180 घायल हुए। इस समस्या के समाधान के लिए, मत्स्यकी पर संयुक्त कार्यसमूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन 2004 में हुआ जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारी शामिल थे। तब से अब तक जेडब्ल्यूजी की बैठकें केवल चार बार ही हुई हैं और इसमें मछुआरों की चिंताओं/समस्याओं को दूर करने के लिए कोई संतोषप्रद समाधान नहीं निकाला जा सका है। यह मत्स्यकी को लाइसेंसयुक्त बनाने के लिए किसी द्विपक्षीय करार की दिशा में कार्य करने की संभावनाएं तलाशने में असफल रहा है। जेडब्ल्यूजी में गिरफ्तार किये गये मछुआरों पर मानवीय आधार पर रिहा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

मछुआरों की सुरक्षा तथा संरक्षा के लिए भारतीय और श्रीलंकाई सरकारों के बीच बनी समझ के परिणामस्वरूप 'अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सीमारेखा (आईएमबीएल) पार करने वाले श्रीलंकाई और भारतीय वास्तविक/बोनाफाईड मछुआरों से निपटने के लिए व्यवहारिक व्यवस्था की गई और इस बात पर सहमति हुई कि मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर कभी गोली नहीं चलाई जायेगी।' यह भी सहमति हुई कि "मछलियाँ पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं के पास वैध पंजीकरण/परमिट होगा और मछुआरों के पास तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी किये गए व्यक्तिगत पहचानपत्र होंगे।"

अपने सतत् प्रयासों के कारण भारत सरकार वर्ष 2013 में 676 मछुआरों और वर्ष 2014 में 541 में से 536 (18 जुलाई 2014 तक) मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करा सकी जो श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। यद्यपि तमिलनाडु के गिरफ्तार मछुआरों की स्वदेश वापसी के लिए श्रीलंकाई सरकार द्वारा "फास्ट ट्रैक एप्रोच" अपनाया गया, फिर भी श्रीलंकाई नौसेना द्वारा नावों का जब्त किया जाना इस प्रक्रिया में बाधा बन गया है। तमिलनाडु सरकार ने आगामी जेडब्ल्यूजी की बैठक की कार्यवाही में नौकाओं को वापस लिए जाने तक भाग लेने से इनकार कर दिया है।

कच्चातीबू द्वीप के निकट तथा आसपास मछलियाँ पकड़ने के तमिलनाडु के मछुआरों के अधिकारों का मुद्दा श्रीलंकाई तथा भारतीय सरकार के इस रुख के साथ विवाद में आ गया है कि तमिलनाडु के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सीमारेखा को पार नहीं कर सकते। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा 3 जून, 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किए गए अनेक पत्रों तथा ज्ञापनों से इस मुद्दे पर मछुआरों की भावनाएँ प्रदार्शित हुईं। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों का गिरफ्तार किया जाना और उनका उत्पीड़न "तमिलनाडु के मछुआरा समुदाय में गंभीर असंतोष का कारण बना है।" उन्होंने इस मुद्दे के समाधान के लिए विशिष्ट सुझाव दिए, जैसे "(क) पाल्क की खाड़ी में भारतीय (तमिलनाडु के) मछुआरों के परम्परागत अधिकारों की रक्षा उनकी (मछुआरों की) सुरक्षा तथा संरक्षा सुनिश्चित करना। (ख) कच्चातीबू की पुनःप्राप्ति/पुनरुद्धार तथा तमिलनाडु के मछुआरों के मछलियां पकड़ने के परंपरागत अधिकारों को पुनः बहाल करना और भारत सरकार को वर्ष 1974 तथा वर्ष 1976 के भारत-श्रीलंका करारों को रद्द करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए।" यह प्रस्ताव किया गया कि इस समस्या के समाधान के लिये इन उपायों का कार्यान्वयन किया जाए।

तमिलनाडु सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में वर्ष 2011 में एक जनहित याचिका भी दायर की जिसमें कच्चातीबू द्वीप के संबंध में भारत सरकार के रूख पर प्रश्नचिन्ह लगाए गए थे। तथापि, यह सुझाव भारत सरकार को स्वीकार्य नहीं है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमारेखा को दोनों पक्षों के मछुआरों द्वारा पार किए जाने के मुद्दे के समाधान के लिए राजनयिक तथा व्यवहारिक व्यवस्थाओं को चुना गया।

समाधान की तलाश करने के प्रयास में दोनों सरकारों ने भारतीय और श्रीलंकाई मछुआरा संगठनों के बीच वार्ताओं को प्रोत्साहित किया। परिणामस्वरूप जनवरी, 2014 में चेन्नई में और मई, 2014 में कोलंबो में वार्ताओं के दो दौर संपन्न हुए। श्रीलंकाई मछुआरों ने तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा "मशीनी ट्रावोलर, बॉटम ट्रावलिंग और पेयर ट्रावलिंग" के प्रयोग के कारण समुद्री संसाधनों के विनाश के संबंध में गहरी चिंता व्यक्त की और अपने समकक्षों से इन ट्रावलरों के प्रयोग को रोकने का अनुरोध किया। अपनी

ओर से भारतीय मछुआरों ने नौकाओं का इस्तेमाल चरणबद्ध ढ़ंग से समाप्त करने के लिए तीन वर्षों का समय मांगा है। श्रीलंकाई मछुआरों ने तमिलनाडु के मछुआरों के इन मांगों को भी स्वीकार कर लिया है कि उन्हें श्रीलंकाई समुद्र में मछलियां पकड़ने की अनुमति दी जाएगी। इस बीच श्रीलंकाई मछुआरों की मांगों के समक्ष झुकने से श्रीलंका सरकार के इनकार के कारण वार्ताओं में गतिरोध आ गई है।

मछुआरों के मुद्दों को सुलझाने के लिए इन विरोधाभासी स्थितियों और तमिलनाडु सरकार सहित दोनों सरकारों द्वारा अपनाए गए रूख दोनों पक्षों के मछुआरों को प्रभावित कर रहे हैं। तमिलनाडु के मछुआरा-बहुल तटीय जिलों के साथ-साथ उत्तरी श्रीलंका के तमिल मछुआरों का भविष्य दोनों सरकारों द्वारा प्रस्तावित दीर्घकालिक सतत समाधान द्वारा प्रभावित होगा।

इस संदर्भ में, दोनों ही सरकारों को अपने-अपने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मत्स्य तथा समुद्री संसाधनों के प्रबंधन के लिए नियामक तंत्र तैयार करने में सहमति बनाने की दिशा में काम करना है। जहां तक भारत का प्रश्न है, तमिलनाडु के मछुआरों को गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए जाने हेतु प्रोत्साहित करना और तटीय समुद्र के आस-पास संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए मैकेनाइज्ड बॉटम ट्रावलिंग पर प्रतिबंध लगाना ऐसा विकल्प है जिससे श्रीलंकाई मछुआरों की चिन्ताओं को दूर किया जा सकता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी पक्षों, विशेषकर दोनों पक्षों के मछुआरों को शामिल करना स्थायी समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। संबंधित राज्य सरकारों/प्रांतीय सरकारों के साथ-साथ दोनों सरकारों को मछुआरों की आजीविका, सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक खाका/रोडमैप तैयार करना चाहिए। मत्स्यकी के क्षेत्र में विकास और सहयोग के लिए एक योजना तैयार करना भारत और श्रीलंका के बीच लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय मुद्दे को सुलझाने के लिए एक और विकल्प है।

** डॉ. एम. समता विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।*